इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी 2011—माघ 28, शक 1932

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्रमांक 7-ठेका-2011-12-95-**शुद्धि-पत्र.**—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 5 फरवरी 2011 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 47, दिनांक 5 फरवरी 2011 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के पेज क्रमांक 94(3) में मुद्रित कण्डिका 10.4 के खण्ड "घ" की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में "दिनांक 10 मार्च 2011" तथा "दिनांक 18 मार्च 2011" के स्थान पर क्रमश: "दिनांक 8 मार्च 2011" तथा "दिनांक 15 मार्च 2011" पढ़ा जाये.

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के पेज क्रमांक 94(13) में मुद्रित कण्डिका 23.2 के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये.

"न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP), नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों में उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से 10 प्रतिशत कम दरों पर तथा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों में उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से 10 प्रतिशत अधिक दरों पर निर्धारित होगी."

"मदिरा की बोतलों पर मुद्रित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत कम अथवा 10 प्रतिशत अधिक दरों पर विक्रय किये जाने की स्थिति में लाइसेंसी द्वारा दुकान पर लगाये जाने वाले साइन बोर्ड पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिससे मदिरा के क्रेता एवं सामान्य जन को इसकी जानकारी हो सके. साथ ही इसकी पूर्व सूचना संबंधित वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को लिखित में दी जाना अनिवार्य होगा."

नगर निगम (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जलबुर सहित अन्य नगर निगम) की अधिसूचित परिसीमा से लगे हुए पांच किलोमीटर परिधि के बाह्य भू-भाग में स्थित मदिरा दुकानों में, मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) वही होगा जो नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों में, विनिश्चित किया गया हो.

(3) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के पेज क्रमांक 94(15) में मुद्रित कण्डिका 26.8 की अन्तिम पंक्ति :—

"देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को, उसकी मांग अनुसार वांछित किस्म एवं धारिता की देशी मदिरा स्टॉक में न होने की स्थिति में प्रदाय न दिये जाने पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा" को विलोपित किया जाये.

अरूण कुमार भट्ट, आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.